Order Sheet [Contd] Case No 154/2017 बी.ए

	Case No 154	∤ / 2017 લા. પ
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
02-05-17	आवेदक / आरोपी अस्पाक खाँ की ओर से श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 70/17 धारा 353, 332, 186, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। आवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री दाताराम बंसल द्वारा प्रथम अग्निम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक को यदि उक्त झूठे आरोपी में गिरफ्तार किया गया तो उसकी मान प्रतिष्टा को ठेस पहुँचेगी, चूंकि आवेदक अपने घर में एक कमाने वाला सदस्य है, यदि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तो उसके परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उतपन्न हो जावेगी। प्रकरण में सहआरोपीगण हलीम खाँ व कलीम खाँ को नियमित जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित अग्निम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक /अभियुक्त घटना में शामिल नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के दो आरोपीगण को जमानत पर मुक्त किया गया है और इसी आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किया गया है और इसी आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किया गया है और इसी आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किया गया है और इसी आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किया नियं सी. गोहद में डॉक्टर आलोक शर्मा के बंद कक्ष का दरवाजा तोडने, आतंकित करने एवं शासकीय कार्य में वाधा उत्पन्न करने के गंभीर आरोप	
	है। प्रकरण में जिन सहआरोपीगण को जमानत दी गई है उन्हें निरोध में रहने के कारण जमानत पर मुक्त किया गया है, किन्तु आवेदक/अभियुक्त	

पर एक लोकसेवक को आतंकित करने, भयोपरत करने एवं उसके शासकीय कार्य में वांधा उत्पन्न करने का गंभीर आरोप है। इस प्रकार के अपराध में आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला– भिण्ड म०प्र0

ATTENDA PARENTA PARENTA STRIPTION OF THE PARENTA PAREN